सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

लखनऊ, सोमवार, 18 अगस्त, 1975

श्रावण 27, 1897 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायिका अनुभाग-1

संख्या 2724 सत्रह-वि0-1--108-75

लखनऊ, 18 अगस्त, 1975

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मंडल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, 1975 पर दिनांक 13 अगस्त, 1975 ई0 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25, 1975 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) अधिनियम, 1975

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25, 1975)

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन अधिनियम, 1951 ई0 का अग्रेतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के छब्बीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

संक्षिप्त नाम

1--यह अधिनियम उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) अधिनियम, 1975 कहलायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8, 1951 ई0 की धारा 4 का संशोधन

2--उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन अधिनियम, 1951 ई0, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, उसकी धारा 4 में, निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जाय, अर्थात् :--

"प्रतिबन्ध यह है कि जब तक कि खंड (ख) या (ग) में निर्दिष्ट मेम्बर निर्वाचित नहीं किये जाते हैं, राज्य सरकार उस खण्ड में उल्लिखित व्यक्तियों के वर्ग वाले मेम्बरों को नामजद कर सकती है, और इस प्रकार नामजद व्यक्ति उस खण्ड के अधीन मेम्बरों के यथा-विधि निर्वाचन तक पद धारण करेंगे।"

धारा 41 का संशोधन

3--मूल अधिनियम की धारा 41 में--

(क) शब्द "अधिकार" के स्थान पर शब्द "अधिकार और कर्त्तव्य" रख दिये जायं।

(ख) उपधारा (1) में, शब्द, अंक और अक्षर "धारा 41-क के अधीन संघटित" निकाल दिये जायं।

(ग) खण्ड (1) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जाय, अर्थात्:--

"(2) प्रत्येक वर्ष, संकाय के हाथों में इस अधिनियम के अधीन अपने कर्त्तव्यों का पालन करने के लिए, पर्याप्त निधि सौंपना,"

धारा 41-क का संशोधन

4--मूल अधिनियम की धारा 41-क में--

(क) उपधारा (2) में,

(1) खंड (घ) में शब्द, अक्षर तथा कोष्ठक "खंड (ख) तथा (ग)" के पूर्व शब्द तथा अंक "धारा 4 के" बढ़ा दिये जायें और शब्द "निर्धारित रीति से" के स्थान पर शब्द "ऐसी रीति से जिसे राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निदेश दे" रख दिये जायं।

(2) निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड बढ़ा दिया जाय, अर्थात्:--

"प्रतिबन्ध यह है कि जब तक कि धारा 4 के खंड (ख) के मेम्बर उस खंड के अधीन निर्वाचित नहीं किये जाते हैं किन्तु उस धारा के प्रतिबन्धात्मक खंड के अधीन नामजद किये जाते हैं तब तक इस उपधारा के खंड (ख) और (घ) में उल्लिखित मेम्बर भी राज्य सरकार द्वारा नामजद व्यक्ति होंगे।"

(ख) उपधारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्:--

"(5) एक संकाय फंड स्थापित किया जायेगा, और उसके नामे निम्नलिखित धन जमा किया जायगा:--

(क) धारा 41 के खंड (2) के अधीन संकाय के हाथ में सौंपा गया समस्त धन,

(ख) राज्य सरकार से प्राप्त समस्त ग्रांट,

(ग) संकाय द्वारा अन्य स्रोतों से प्राप्त समस्त धन।

(6) उपधारा (5) के अधीन स्थापित फण्ड पर धारा 45 के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

(7) संकाय का अध्यक्ष संकाय फण्ड में उपलब्ध धन का आहरण तथा वितरण प्राधिकारी होगा।"

धारा 41-ख का संशोधन

5--मूल अधिनियम की धारा 41-ख में, खंड (घ) में, शब्द "बोर्ड" के स्थान पर शब्द "संकाय" रख दिया जाय।

धारा 45 का संशोधन

6--मूल अधिनियम की धारा 45 में, शब्द "इम्पीरियल बैंक आफ इंडिया" के स्थान पर शब्द "स्टेट बैंक आफ इंडिया" रख दिया जाय।

धारा 55 का संशोधन

7--मूल अधिनियम की धारा 55 की उपधारा (1) में वर्तमान प्रतिबन्धात्मक खंड के पश्चात् निम्नलिखित नया प्रतिबन्धात्मक खंड बढ़ा दिया जाय, अर्थात्--

"अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि कोई ऐसा विनियम संकाय की सिफारिश के बिना नहीं बनाया जायगा।"

धारा 57 का प्रतिस्थापन

8--मूल अधिनियम की धारा 57 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात् :--

"57(1)--इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम, बनाये जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, राज्य विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष जब उसका सत्र हो रहा हो, कम से कम कुल तीस दिन की अवधि पर्यन्त जो उसके एक सत्र में या एक से अधिक आनुक्रमिक सत्रों में समाविष्ट हो सकती है, रखे जायेंगे, और जब तक कि कोई बाद का दिनांक निर्धारित न किया जाय, गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से, ऐसे परिष्कारों या अभिशून्यनों के अधीन रहते हुए, प्रभावी होंगे जो विधान मंडल के दोनों सदन, उक्त अवधि में करने के लिए सहमत हों, किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या अभिशून्यन सम्बद्ध नियम के अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा।

नियम और विनियम

(2) बोर्ड द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनाया गया कोई विनियम तब तक प्रभावी न होगा जब तक कि उसकी पुष्टि राज्य सरकार द्वारा न कर दी जाय और उसे गजट में प्रकाशित न कर दिया जाय।"

परिशिष्ट का संशोधन

9--मूल अधिनियम के परिशिष्ट में, खंड (1) में, शब्द "बोर्ड आफ होम्योपैथिक मेडिसिन, उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित" के स्थान पर शब्द "इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन संचालित" रख दिये जायं।

वैधीकरण

10--मूल अधिनियम में दी गई किसी बात के होते हुए भी, सरकारी आदेश संख्या 492/5-9--102-72, दिनांक 4 फरवरी, 1975 के अनुसरण में होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड, उत्तर प्रदेश द्वारा मार्च, 1975 में संचालित समस्त परीक्षाओं का विधि मान्य होना और सदैव रहना माना जायेगा।

No. 2724 (2) /XVII-V-1—108-1975

Dated Lucknow, August 18, 1975

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Homoeopathic Medicine (Sanshodhan) Adhiniyam, 1975 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 25 of 1975) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on August 18, 1975 :

THE UTTAR PRADESH HOMOEOPATHIC MEDICINE (AMENDMENT) ACT, 1975

(U. P. Act no. 25 of 1975)

(*As passed by the Uttar Pradesh Legislature*)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Homoeopathic Medicine Act, 1951

It is hereby enacted in the Twenty-sixth Year of the Republic of India as follows :—

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Homoeopathic Medicine (Amendment) Act, 1975. **Short title.**

2. In section 4, of the Uttar Pradesh Homoeopathic Medicine Act, 1951, hereinafter referred to as the principal Act, the following proviso thereto shall be *inserted*, namely : **Amendment of section 4 of U. P. Act 8 of 1951.**

"Provided that for so long as the members referred to in clause (*b*) or clause (*c*) are not elected, the State Government may nominate members belonging to the class of persons mentioned in that clause, and the members so nominated shall hold office until the due election of members under that clause."

3. In section 41 of the principal Act— **Amendment of section 41.**

(*a*) *for* the word "powers", the words "powers and duties" shall be *substituted* ;

(*b*) in sub-section (1), the words, figures and letters "constituted under section 41-A" shall be *omitted* ;

(*c*) *after* clause (1), the following clause shall be *inserted*, namely :—

"(2) to place every year at the disposal of the Faculty adequate funds for carrying out its duties under this Act".

4. In section 41-A of the principal Act— **Amendment of section 41-A.**

(*a*) in sub-section (2) —

(i) in clause (*d*), *after* the words, letters and brackets "clauses (*b*) and (*c*)", the words and figure "of section 4" shall be *inserted* and *for* the words "in the prescribed manner", the words "in such a manner as the State Government may by general or special order direct" shall be *substituted* ;

(ii) the following proviso shall be *inserted*, namely :—

"Provided that for so long as the members under clause (*b*) of section 4 are not elected under that clause but are nominated under the proviso to that section, the members mentioned in clauses (*b*) and (*d*) of this sub-section shall also be a person nominated by the State Government" ;

(*b*) *after* sub-section (4), the following sub-sections shall be *substituted*, namely :—

"(5) There shall be established a Faculty Fund, and the following sums shall be deposited to the credit thereof :—

(*a*) all sums placed at the disposal of the Faculty under clause (2) of section 41 ;

(*b*) all grants received from the State Government ;

(*c*) all sums received by the Faculty from other sources.

(6) The provisions of section 45 shall *mutatis mutandis* apply to the fund established under sub-section (5).

(7) The Dean of the Faculty shall be the drawing and disbursing authority of the sums available in the Faculty Fund."

Amendment of section 41-B.

5. In section 41-B, of the principal Act, in clause (*d*), *for* the words "by it", the words "by the Faculty" shall be *substituted.*

Amendment of section 45.

6. In section 45 of the principal Act, *for* the words "Imperial Bank of India", the words "State Bank of India" shall be *substituted.*

Amendment of section 55.

7. In section 55 of the principal Act, in sub-section (1), *after* existing proviso, the following new proviso shall be *inserted,* namely :—

"Provided further that no such regulations shall be framed, except upon the recommendations of the Faculty".

Substitution of section 57.

8. *For* section 57 of the principal Act, the following section shall be *substituted,* namely :—

"57 (1) All rules made under this Act shall, as soon as may be after they are made, be laid before each House of the State Legislature, while it is in session for a total period of not less than thirty days comprised in its one session or more than one successive sessions and shall, unless some later date is appointed take effect from the date of their publication in the *Gazette,* subject to such modifications or annulments as the two Houses of the Legislature may, during the said period, agree to make, so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done thereunder.

Rules and Regulations.

(2) No regulations made by the Board under this Act shall have effect until they are confirmed by the State Government and published in the *Gazette*".

Amendment of Schedule.

9. In the Schedule to the principal Act, in clause (1), for *the* words "held by the Board of Homoeopathic Medicine, Uttar Pradesh", the words "held under the provisions of this Act" shall be *substituted.*

Validation.

10. All examinations held in March, 1975 by the Board of Homoeopathic Medicine, Uttar Pradesh in pursuance of Government Order no. 492/V-9—102-72, dated February 4, 1975 shall be deemed to be and always to have been valid, anything contained in the principal Act notwithstanding.

आज्ञा से,

कैलाश नाथ गोयल,

सचिव ।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० 207 ला० (विधायिका)—1975—650 (मे०)